न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 31/2023 बउनवानी कैलाशचन्द गोयल बनाम लो.सू.अधि.एवं कोषाधिकारी स0मा0 पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गोयल प्लाट नम्बर 43, उषा कॉलोनी केलगिरी हॉस्पिटल के पास जयपुर

GCMS No-2023/69

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.2.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1 दिनांक 6.11.1971 को पंजीयन अधिकारी मलारना चौड बौंली के पद पर कार्यरत अधिकारी के नाम एवं सम्पूर्ण पता।

2 वेण्डर दीन दयाल मंगल स्टाम्प विकता बौंली के रजिस्टर के कम संख्या 815/1,815/2,815/3 स्टाम्प किस व्यक्ति के नाम बेचे गये उसका पूर्ण विवरण एवं स्टाम्प रजिस्टर के दिनांक 3.11. 1971 को बेचे गये स्टाम्प की प्रमाणित प्रति चाहिए। वर्ष 1971 के स्टाम्प रजिस्टर तहसील बौंली द्वारा कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को जमा करवा दिये है।

3 दिनांक 6.1.1973 को उप पंजीयन अधिकारी मलारना चौड के पद पर कार्यरत अधिकारी का नाम व सम्पूर्ण पता।

4 दिनांक 6.1.1973 को उप कोषाधिकारी बौंली के पद पर कार्यरत अधिकारी का सम्पूर्ण नाम एवं पता

5 उप कोषाधिकारी बौंली द्वारा दिनांक 14.12.1972 को कितने रूपयें के स्टाम्प बेचे गये, रजिस्टर में बेचे गये पृष्ठ की 2 प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांकः सूकाअ/2023/24 दिनांक 17.07.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 18.2.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 मे से बिन्दु संख्या 1,3,4,पर चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार बौंली के कार्यालय से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 21 दिनांक 9.7.2023 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बौंली से सूचना मांगी गयी है जो अभी तक प्राप्त नही हुई है तथा बिन्दु संख्या 2,5 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण दिया जाना आवश्यक नही है। अतःअपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.2.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 मे चाही गयी सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी द्वारा तहसीलदार बौंली से होना बताया गया है किन्तु [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार बौंली को अन्तरित नही किया है। इसलिए अब कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार बौंली से सूचना प्राप्त कर अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाकर [illegible] के साथ अपीलान्ट [illegible] से कम हो एवं बाद [illegible] दाखिल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:38:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner